प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 12.01.2025

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा हत्या करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल डंडा बरामद।

दिनांक 11.01.2025 को वादिया श्रीमती राजेश्वरी पत्नी विक्रम सिंह निवासी ग्राम भेरामपुर थाना जानी जिला मेरठ हाल किरायेदार सचिन के मकान में गली नं0 02 विजयनगर बाईपास अम्बेडकर पार्क के पास थाना क्रोसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद द्वारा एक लिखित तहरीर दी गयी कि वादिया के भाई इंद्रजीत की टंकी के पास लाश मिली है हमे शक है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। जिसपर तत्काल थाना मधुबन बापूधाम पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी।

अभियुक्तग की गिरफ्तारी व खुलासे के सम्बन्ध में तत्समय टीमें गठित की गयी थी जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज का लगातार गहन विश्लेषण मैनुअल इंटेलिजेन्स, गहन पूछताछ एवं अन्य सूत्रों से जानकारी कर घटना का खुलासा किया गया। जिसमे दिनांक 12.01.2025 को प्रकाश में आया 01 अभियुक्त को सदरपुर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त –

रितिक शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा निवासी आगरा रोड एटा चुंगी मन्दिर के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद एटा हाल पता एफ16 -3बी मटियाला की पुलिया के पास काशीराम कालोनी थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

पूछताछ विवरण- कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त रितिक शर्मा उपरोक्त नें बताया कि मै मटियाल पुलिया के पास काशीराम कालोनी में रहता हूँ। और चाचा राजेन्द्र सिंह के होटल पर काम करता हूं। इन्द्रजीत पुत्र जयपाल सिंह निवासी एफ-के-2/2 काशीराम कालोनी थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद में रहता है। उसे मैं पहले से ही जानता पहचानता हूँ। कभी कभार राजेन्द्र सिंह के होटल पर खाना खाने आता था। अक्सर मुझसे उल्टी सीधी बात करता था। और गाली गलौच करता था। दिनांक 10/11.01.2025 की रात्री में होटल बन्द करके मै अपने घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में मुझे इन्द्रजीत मिला और मुझे रास्ते में ही पहले की तरफ ही गाली गलौच करने लगा और हातापाई करने लगा। रात्रि का समय था। मुझे भी गुस्सा आया। पहले भी यह मुझसे बत्तमीजी करता रहा है। इसी बात को लेकर मैने भी इसके साथ धक्का मुक्की करी। और ये मुझे अधिक नशे में होने के कारण गालिया देने लगा। पास में ही डन्डा पडा था। उस डन्डे को उठाकर मैने इन्द्रजीत के सिर पर वार किये। जब ये गिर गया तो मैने देखा कि इन्द्रजीत बेहोशी की हालत में नीचे गिरकर कराह रहा है। मै वहाँ से भाग गया।

बरामदगी का विवरण

1.एक डन्डे के दो टुकडे आलाकत्ल

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.12.2024 को थाना निवाड़ी पर वादी द्वारा तहरीर दी कि मेरी साली को मोनू उर्फ साहिल के द्वारा बहला फुसलाकर ले जाना व ले जाते समय एक्सीडेन्ट होने पर उसकी मृत्यु हो जाना। जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना निवाड़ी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना अभियोग में घटनास्थल थाना मोदीनगर क्षेत्र का होने के कारण उक्त अभियोग की विवेचना हस्वादेश उच्चाधिकारीगण के थाना मोदीनगर स्थान्तरित हुई। आदेश के क्रम में विवेचना थाना मोदीनगर पर क्राईम पर लेकर विवेचनात्मक की जा रही है। तत्पश्चात आज दिनांक 12/01/2025 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. मोनू उर्फ साहिल पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम अबुपुर थाना निवाडी कमि0 गाजियाबाद व 2. अरमान पुत्र हकीमुद्दीन निवासी उपरोक्त को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि हम दोनों पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेन्ट हो गया जिसमें हम दोनों के चोटें आई और पीड़िता की मृत्यु हो गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. मोनू उर्फ साहिल पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम अबुपुर थाना निवाडी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2. अरमान पुत्र हकीमुद्दीन निवासी ग्राम अबुपुर थाना निवाडी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 07.06.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी के किराये के मकान कृष्णा विहार कालोनी लालकुआं के कमरे से वादी का मोबाइल फोन चोरी कर ले जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा थानास्तर से घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 11.01.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त गजेन्द्र पुत्र जतन सिंह निवासी A4 पंचशील कालोनी चिपयाना रोड गौतमबुद्धनगर को डासना से कुढिया गढी जाने

वाली रोड पर पैरीफेरल के आगे कुडिया गढी गांव की तरफ से गिरफ्तार किया गया तथा इसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैने मौका पाकर यह मोबाइल फोन कृष्णा विहार कालोनी लालकुआं से कुछ महीने पहले चोरी किया था। आज मैं इस मोबाइल को बेचने के लिए जा रहा था। तभी आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः-

गजेन्द्र पुत्र जतन सिंह निवासी- A4 पंचशील कालोनी चिपयाना रोड गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 38 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर घर मे चोरी हत्या कारित करने वाले 02 अभियुक्त गण गिरफ्तार, बाल अपचारी अभिरक्षा में व अभियुक्त गण व बालअपचारी की निशांदेही से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे की रॉड व घटना के दौरान चोरी किया गया माल बरामद।

दिनांक 11.01.2025 को थाना लोनी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र अशोक विहार मे कमरुदीन पुत्र फतेहखान उम्र करीब 68 निवासी बाबू होटल वाला 30 फुटा अशोक विहार लोनी गा0बाद की किसी अज्ञात ने हत्या कर दी है। इस सूचना के आधार पर फील्ड यूनिट को बुलाते हुए तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा मौके पर सभी पहलुओं पर जांच करते हुए परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 103(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। व घटना स्थल पर पहुँचकर घटना के सफल अनावरण हेतु आस पास के लोगों से पूछताछ की गयी एवं मुखबिर मामूर किये गये एवं घटना के विषय मे गोपनीय रूप से जानकारी गयी तो घटना के सम्बध मे मुखबिर खास ने बताया कि मृतक कमरूद्दीन उपरोक्त का धेवता बालअपचारी जो गलत सगंत मे रहता है। जिसके द्वारा कुछ दिन पहले अपने नाना मृतक कमरूद्दीन के घर मे चोरी की थी। उसके द्वारा ही घटना किया जाना प्रतीत होता है। जिस पर पुलिस टीम द्वारा मृतक कमरूद्दीन उपरोक्त के धेवते बालअपचारी से घटना के सम्बध मे सख्ती से पूछताछ की गयी कि तो बालअपचारी ने पूछताछ के दौरान घटना अपने दो अन्य साथी 1.गुलफाम पुत्र बबली निवासी अखाडे वाला 30 फुटा चाँद मस्जिद के पीछे उम्र 19 वर्ष 2.अरबाज पुत्र रहीशु निवासी मौहम्मदी मस्जिद के पास अशोक विहार

लोनी गा0बाद उम्र 21 वर्ष के साथ घटना कारित करना बताया। अभि0 गण व बाल अपचारी को निठौरा रोड अंडर पास रेलवे लाईन के किनारे चौकी क्षेत्र अशोक विहार से आज दिनांक 12.01.2025 को 24 घंटे के अंदर थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभिरक्षा/ गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक लोहे की राँड व चोरी किया माल बरामद किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त गण 1. गुलफाम पुत्र बबली निवासी अखाडे वाला 30 फुटा चाँद मस्जिद के पीछे 2.अरबाज पुत्र रहीशु निवासी मौहम्मदी मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गा0बाद व बाल अपाचारी ने पूछने पर बताया कि हम तीनो आपस मे दोस्त है बालअपचारी ने हमे कुछ दिन पहले बताया था कि मेरे नाना मृतक कमरूद्दीन उपरोक्त के घर पर सात लाख रूपये व जेवरात रखे है जिन्हे चुराने के लिए हम तीनो दिनांक 11.1.2025 को बाल अपचारी के नाना मृतक कमरूद्दीन उपरोक्त के घर अखाडे वाला 30 फुटा मे रात्रि मे घुस गये। व चोरी करते समय हमे कमरुदीन पुत्र फतेहखान निवासी बाबू होटल वाला 30 फुटा अशोक विहार लोनी गा0बाद ने हमे देख लिया जैसे हम भागने लगे तो उसने हमे पकडने की कोशिश की और जोर जोर से शोर मचाने की कोशिश की तो हमने मौका पाकर पास मे रखी लोहे की राँड से कमरूद्दीन के सिर पर वार किया जिससे कमरूद्दीन की मृत्यु हो गयी और कमरूदीन की जेब मे रखे 4000 रूपये व घर की तलाशी से एक पीली धातु की अंगूठी व एक जोडी पायल सफेद धातु नंग लगी चोरी कर भाग गये थे। चोरी के सामान को हमने आपस मे बाँट लिया था। हमने जिस लोहे की राँड से कमरुदीन पुत्र फतेहखान को मारा था उसे छुपाने के लिए रेवले लाईन के किनारे आये कि आपने पकड लिया। व जो 4000 हजार रूपये व एक पीली धातु की अंगूठी व सफेद धातु की एक जोडी पांजेब हम से मिली है वही चोरी की घटना की है। व लोहे की राँड जिससे हमने कमरूद्दीन के सिर पर वार किया था आपको बरामद करा दी है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

1.गुलफाम पुत्र बबली निवासी अखाडे वाला 30 फुटा रोड चाँद मस्जिद के पीछे अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद उम्र 19 वर्ष ,

2.अरबाज पुत्र रहीशु निवासी मौहम्मदी मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गा0बाद उम्र 21 वर्ष,

3.बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण-

हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे की राँड, 4,000 रूपये, एक पीली धातु की अंगूठी व एक जोडी सफेद धातु की पायल बरामद ।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर घर मे चोरी हत्या कारित करने वाले 02 अभियुक्त गण गिरफ्तार, बाल अपचारी अभिरक्षा में व अभियुक्त गण व बालअपचारी की निशांदेही से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे की रॉड व घटना के दौरान चोरी किया गया माल बरामद।

दिनांक 11.01.2025 को थाना लोनी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र अशोक विहार मे कमरुदीन पुत्र फतेहखान उम्र करीब 68 निवासी बाबू होटल वाला 30 फुटा अशोक विहार लोनी गा0बाद की किसी अज्ञात ने हत्या कर दी है। इस सूचना के आधार पर फील्ड यूनिट को बुलाते हुए तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा मौके पर सभी पहलुओं पर जांच करते हुए परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 103(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। व घटना स्थल पर पहुँचकर घटना के सफल अनावरण हेतु आस पास के लोगों से पूछताछ की गयी एवं मुखबिर मामूर किये गये एवं घटना के विषय मे गोपनीय रूप से जानकारी गयी तो घटना के सम्बध मे मुखबिर खास ने बताया कि मृतक कमरूद्दीन उपरोक्त का धेवता बालअपचारी जो गलत सगंत मे रहता है। जिसके द्वारा कुछ दिन पहले अपने नाना मृतक कमरूद्दीन के घर मे चोरी की थी। उसके द्वारा ही घटना किया जाना प्रतीत होता है। जिस पर पुलिस टीम द्वारा मृतक कमरूद्दीन उपरोक्त के धेवते बालअपचारी से घटना के सम्बध मे सख्ती से पूछताछ की गयी कि तो बालअपचारी ने पूछताछ के दौरान घटना अपने दो अन्य साथी 1.गुलफाम पुत्र बबली निवासी अखाडे वाला 30 फुटा चाँद मस्जिद के पीछे उम्र 19 वर्ष 2.अरबाज पुत्र रहीशु निवासी मौहम्मदी मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गा0बाद उम्र 21 वर्ष के साथ घटना कारित करना बताया। अभि0 गण व बाल अपचारी को निठौरा रोड अंडर पास रेलवे लाईन के किनारे चौकी क्षेत्र अशोक विहार से आज दिनांक 12.01.2025 को 24 घंटे के अंदर थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभिरक्षा/ गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक लोहे की रॉड व चोरी किया माल बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त गण 1. गुलफाम पुत्र बबली निवासी अखाडे वाला 30 फुटा चाँद मस्जिद के पीछे 2.अरबाज पुत्र रहीशु निवासी मौहम्मदी मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गा0बाद व बाल अपाचारी ने पूछने पर बताया कि हम तीनो आपस मे दोस्त है बालअपचारी ने हमे कुछ दिन पहले बताया था कि मेरे नाना मृतक कमरूद्दीन उपरोक्त के घर पर सात लाख रूपये व जेवरात रखे है जिन्हे चुराने के लिए हम तीनो दिनांक 11.1.2025 को बाल अपचारी के नाना मृतक कमरूद्दीन उपरोक्त के घर अखाडे वाला 30 फुटा मे रात्रि मे घुस गये। व चोरी करते समय हमे कमरुदीन पुत्र फतेहखान निवासी बाबू होटल वाला 30 फुटा अशोक विहार लोनी गा0बाद ने हमे देख लिया जैसे हम भागने लगे तो उसने हमे पकडने की कोशिश की और जोर जोर से शोर मचाने की कोशिश की तो हमने मौका पाकर पास मे रखी लोहे की रॉड से कमरूद्दीन के सिर पर वार किया जिससे कमरूद्दीन की मृत्यु हो गयी और कमरूदीन की जेब मे रखे 4000 रूपये व घर की तलाशी से एक पीली धातु की अंगूठी व एक जोडी पायल सफेद धातु नंग लगी चोरी कर भाग गये थे। चोरी के सामान को हमने आपस मे बाँट लिया था। हमने जिस लोहे की रॉड से कमरुदीन पुत्र फतेहखान को मारा था उसे छुपाने के लिए रेवले लाईन के किनारे आये कि आपने पकड लिया। व जो 4000 हजार रूपये व एक पीली धातु की अंगूठी व सफेद धातु की एक जोडी पांजेब हम से

मिली है वही चोरी की घटना की है। व लोहे की राँड जिससे हमने कमरूद्दीन के सिर पर वार किया था आपको बरामद करा दी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-</u>

1.गुलफाम पुत्र बबली निवासी अखाडे वाला 30 फुटा रोड चाँद मस्जिद के पीछे अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद उम्र 19 वर्ष ,

2.अरबाज पुत्र रहीशु निवासी मौहम्मदी मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गा0बाद उम्र 21 वर्ष,

3.बाल अपचारी

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे की राँड, 4,000 रूपये, एक पीली धातु की अंगूठी व एक जोडी सफेद धातु की पायल बरामद ।

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस व स्वाट टीम, ट्रांस हिण्डन जोन द्वारा चार पहिया वाहन (महेन्द्रा थार) चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई महेन्द्रा थार गाड़ी बरामद ।

<u>कार्यवाही का विवरणः-</u> दिनांक 11.01.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादिया श्रीमती मोनिका पत्नी श्री मुकेश तिवारी निवासी एसएफ-2, 656 शक्तिखण्ड-3 थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 10/11.01.2025 की रात्रि को घर के बाहर पार्किंग से चार पहिया वाहन (महेन्द्रा थार रजि0 नं0 UP14FY5239) चोरी करने के सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर अभियोग अन्तर्गत धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया । तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस व स्वाट टीम, ट्रांस हिण्डन जोन द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 12.01.2025 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त सलमान पुत्र अब्दुल हनीफ निवासी चुड़ीवालान, मदरसा वाली गली मकान नं0 865, जामा मस्जिद, दिल्ली हाल निवासी कल्लण चौक, शहीदनगर फर्जाना का किराया का मकान गली नं0- 2, थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को ग्रीन बैल्ट रोड से गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से चोरी की गई महेन्द्रा थार गाड़ी रजि0 नं0 UP14FY5239 बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) बीएनएस में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है ।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्त सलमान पुत्र अब्दुल हनीफ निवासी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये की अभियुक्त सलमान व उसके अन्य साथी (इमरान, गद्दू, गुलफाम व महराज) ने एक साथ मिलकर दिनांक 10./11.01.2025 की रात्रि को शक्तिखण्ड-3 से उक्त महेन्द्रा थार गाड़ी रजि0 नं0 UP14FY5239 चोरी की थी । जिसे बेचने की फिराक में ग्रीन बैल्ट रोड पर घूम रहे थे । अभियुक्त सलमान के साथी इमरान, गद्दू, गुलफाम व महराज मौके से भाग गये । फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सलमान पुत्र अब्दुल हनीफ निवासी चुडीवालान, मदरसा वाली गली मकान नं0 865, जामा मस्जिद दिल्ली हाल निवासी कल्लण चौक शहीदनगर फर्जाना का किराया का मकान गली नं0- 2, थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त काआपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान पुत्र अब्दुल हनीफ के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

- महेन्द्रा थार गाड़ी रजि0 नं0 UP14FY5239

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस व स्वाट टीम, ट्रांस हिण्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा लोगों के साथ धोखाधडी से सिक्योरिटी गार्ड पर भर्ती कर सिक्योरिटी कम्पनी चलाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.01.2025 को थाना लिंकरोड क्षेत्र में संचालित मीट फैक्ट्री में सुरक्षा प्रदान करने वाले कंम्पनी प्रथम सर्विसेस सिक्योरिटी की जांच की गयी तो पाया गया कि सुरक्षा प्रदान करने वाली कम्पनी प्रथम सर्विसेस सिक्योरिटी एजेन्सी के संचालक द्वारा बिना लाईसेन्स के सिक्योरिटी एजेन्सी चलायी जा रही है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों से गार्डों को लाकर धोखाधड़ी से बिना सत्यापन व बिना चरित्र प्रमाण पत्र के सुरक्षा गार्डो को भर्ती कर थाना क्षेत्र में संचालित मीट फैक्ट्री, मिरहा मीट एक्सपोर्ट प्रा0 लि0 में नौकरी पर रखा गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पर वादी उ0नि0 श्री अनुज ग्रेवाल द्वारा अन्तर्गत धारा 318(4) बीएनएस व 4/20 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 बनाम सुरेश चौहान पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी 133/2 छलेरा, सैक्टर 44 नोएडा, गौतमबुद्धनगर पंजीकृत कराया गया। तत्पश्चात त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 12.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त सुरेश चौहान पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी उपरोक्त को मिरहा मीट एक्सपोर्ट प्रा0 लि0 साईट 4 साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुरेश चौहान पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी 133/2 छलेरा, सैक्टर 44 नोएडा, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 55 वर्ष।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त सुरेश चौहान उपरोक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वह पैसा कमाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में अलग अलग नाम से सिक्योरिटी कम्पनी संचालित कर गार्डों के रूप में सस्ते दामों में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देता है तथा इसमें अधिकतर वह उ0प्र0 व बिहार के ही लोगों को नियुक्त करता है तथा जिस कम्पनियों में इन गार्डों को सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाता है, उन कम्पनियों से इनके एवज में वह मोटी रकम लेता है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -</u>
थाना लिंकरोड पुलिस टीम।